उत्तर प्रदेश शासन
संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-1
सं0-114/2018/सं0वि0क0नि0-1-1310/11-2018-98/2018
लखनऊः दिनांकः 02 अगस्त, 2018

- कार्यालय-ज्ञाप:-

सरकारी सेवाओं में दक्षता सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु स्क्रीनिंग विषयक कार्मिक अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0-13/48/85-कार्मिक-1 दिनांक 26.10.1985 में किये गये प्राविधानानुसार वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों की स्क्रीनिंग के सम्बन्ध में विचार हेतु स्क्रीनिंग कमेटी का गठन निम्नवत् किया जाता है:-

(1)	अपर मुख्य सचिव वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर विभाग	अध्यक्ष
(2)	कमिश्नर वाणिज्य कर उ0प्र0	सदस्य
(3)	संयुक्त सचिव/विशेष सचिव, कार्मिक विभाग उ0प्र0 शासन	सदस्य

मो0 मारूफ
विशेष सचिव।

पृष्ठांकन-सं0वि0क0नि0-1-1310(1)/11-2018, तद्दिनाक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0 लखनऊ।
2. कार्मिक अनुभाग-1 उ0प्र0 शासन।
3. गार्ड फाइल

आज्ञा से,

नरेन्द्र कुमार
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।